संoसंo–5 बजट (1) 47/2022 31 स्था०(वि०)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, **भा० प्र० से०**
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 02.1.2024

विषय– राज्य योजनान्तर्गत ''तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना'' के तहत् वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन जीर्णोद्धार मद में कुल मो0 154.51127 लाख (एक करोड़ चौवन लाख एकावन हजार एक सौ सत्ताईस) रु0 मात्र रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इतनी ही राशि के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत ''तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार'' योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यों हेतु कुल मो0 154.51127 लाख (एक करोड़ चौवन लाख एकावन हजार एक सौ सत्ताईस) रु0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति इतनी ही राशि के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जीर्णोद्धार कार्यों की कुल मो0 154.51127 लाख रु0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है –

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
(क)				
1	जिला मत्स्य कार्यालय–सह– आवास का जीर्णोद्धार कार्य	24,98,000/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 13.12.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	हजारीबाग
2	झील प्रक्षेत्र का तालाब जीर्णोद्धार	6,70,500/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 16.06.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
3	जिला मत्स्य कार्यालय प्रक्षेत्र में तालाब का जीर्णोद्धार	24,71,400/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 12.06.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
	उप योग:	56,39,900/–		

(ख)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	जिला मत्स्य कार्यालय के अधीन पुराने कार्यालय भवन जिसमें वर्तमान में गो सेवा आयोग का कार्यालय है, का जीर्णोद्धार कार्य	34,83,200/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा दिनांक 25.08.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
2	शालीमार, धुर्वा स्थित मत्स्य प्रक्षेत्र के प्रशासनिक भवन का Roof Treatmet, Wall Treatment, हैचरी एवं गार्ड रुम तथा गाय शेड 1 एवं 2 का जीर्णोद्धार कार्य	38,22,800/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर अंचल, राँची द्वारा दिनांक 05.07.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
3	जिला मत्स्य कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य	6,25,981/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खूंटी द्वारा दिनांक 20.02.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	खूंटी
4	करनडीह मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाब का जीर्णोद्धार कार्य	5,13,621–/	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 02.05.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
5	तिरिंग मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाब का जीर्णोद्धार कार्य	12,17,399/–	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 02.05.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	
6	बड़ा बाँध स्थित पुराने कार्यालय भवन Dismantle / Demolish कार्य	1,48,226/–	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका द्वारा दिनांक 08.06.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	दुमका
	उप योगः	98,11,227/–		
	कुल योगः	1,54,51,127/–		

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

(राशि लाख रू0 में)

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	राज्यादेश सं0 12 रा0 (वि0) दिनांक 06.07.23 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन				
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010106010323**	1623.00	1622.98365	0.00	0.01635
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050010106010543**	11.00	11.00	0.00	0.00
3	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050010106010544**	140.00	50.00	56.399	33.601
4	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050010106010759**	11.00	11.00	0.00	0.00
	उप योगः	**1785.00**	**1694.98365**	**56.399**	**33.61735**

(ख)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना				
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078906010323**	390.00	389.98352	0.00	0.01648
	उप योगः	**390.00**	**389.98352**	**0.00**	**0.01648**
(ग)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079606010323**	1751.00	1750.99280	0.00	0.0072
2	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ/ ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का कय **53S24050079606010440**	20.00	0.00	0.00	20.00
3	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050079606010543**	35.00	35.00	0.00	0.00
4	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050079606010544**	180.00	36.50	98.11227	45.38773
5	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050079606010759**	14.00	14.00	0.00	0.00
	उप योगः	**2000.00**	**1836.49280**	**98.11227**	**65.39493**
	कुल योगः	**4175.00**	**3921.45997**	**154.51127**	**99.02876**

कुल मो0 154.51127 लाख (एक करोड़ चौवन लाख एकावन हजार एक सौ सत्ताईस) रु0 मात्र।

4. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

5. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/राँची/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/दुमका तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूंटी तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। कंडिका 2 में अंकित जीर्णोद्धार कार्यों के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

6. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

7. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

8. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

10. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 एवं सी0एस0–01/आर0–04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

11. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 4000.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3730.00 लाख रु0 – मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित) मात्र के अधीन वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेशों के आलोक में मो0 3265.25841 लाख रु0 मात्र का व्यय मत्स्य निदेशालय द्वारा प्रतिवेदित है।

13. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची के द्वारा योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2025–26 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 31 रा0(नि0) रॉची, दिनांक 02.1.24

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 31 ST0 (वि0) रॉंची, दिनांक 02.1.24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची / संयुक्त मत्स्य निदेशक / उप मत्स्य निदेशक, (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) / संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल / योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची / वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉंची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त (सभी) / उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) / सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

28/12